रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 326] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

MHRD Mode

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पटना, 22 जून 2016

फा. सं.–सी.यू.एस.बी. /स्टैच्यू/संशोधन/2016.–सभी संबंधितों को सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 15 एंव परिनियम 2 (4), जो कि क्रमशः दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन पीठ की स्थापना एंव कुलपति के दूसरे कार्यकाल से संबंधित हैं, में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या क्रमशः F. No. 42-26/2009-Desk (U) दिनांक जुलाई 28, 2010 एवं F. No. 44-8/2013-Desk(U) दिनांक जनवरी 03, 2014 द्वारा सूचित किया है।

परिनियम 2 (4) का संशोधन

क्रम सं.	वर्तमान	संशोधित
1.	2 (4)– कुलपति अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक, या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर आसीन रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।	2 (4)– कुलपति अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक, या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर आसीन रहेंगे और वे अधिकतम एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

परिनियम 15 का संशोधन

परिनियम 15 (1) (ए) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन पीठ होंगे :

1. गणित, सांख्यिकी एंव संगणक विज्ञान पीठ
2. भौतिकी एंव रसायन विज्ञान पीठ
3. भू , जीव एंव पर्यावरण विज्ञान पीठ
4. प्रौद्योगिकी पीठ
5. स्वास्थ्य विज्ञान पीठ
6. सामाजिक विज्ञान एंव नीति पीठ
7. मानव विज्ञान पीठ
8. भाषा एंव साहित्य पीठ
9. संचार – माध्यम, कला एंव सौंदर्यशास्त्र पीठ
10. प्रबंधन पीठ
11. शिक्षा पीठ

12. व्यवसायिक शिक्षा पीठ
13. विधि एंव शासन प्रणाली पीठ
14 कृषि एंव विकास पीठ

डॉ. गायत्री विश्वनाथ पाटिल, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./213(380ए)]

CENTRAL UNIVERSITY OF SOUTH BIHAR

NOTIFICATION

Patna, the 22nd June, 2016

F. No. CUSB/Statute/Amendment/2016.—This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Central University of South Bihar, has been pleased to approve the proposed amendments in Statute 15 and Statute 2 (4) of Central Universities Act, 2009 relating respectively to establishment of School of Studies and provision for 2nd term to the Vice Chancellor of Central University of South Bihar as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education vide letter F. No. 42-26/2009-Desk(U) dated 28th July, 2010 and letter F. No. 44-8/2013-Desk(U) dated 3rd January, 2014 respectively

Amendment of Statute 2(4)

Sl. No.	Existing	Amended
1.	2(4)-The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and he shall not be eligible for re-appointment.	2(4)-The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and he shall be eligible for re-appointment for not more than another term.

Amendment of Statute 15

The University shall have the following School of Studies in Clause (1) (a) of Statute 15:-

1. School of Mathematics, Statistics and Computer Science
2. School of Physical and Chemical Sciences
3. School of Earth, Biological and Environmental Sciences
4. School of Technology
5. School of Health Sciences
6. School of Social Sciences and Policy
7. School of Human Sciences
8. School of Languages and Literature
9. School of Media, Arts & Aesthetics
10. School of Management
11. School of Education
12. School of Vocational Studies
13. School of Law and Governance
14. School of Agriculture and Development

Dr. GAYATHRI VISHWANATH PATIL, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./213(380A)]

RAJ KUMAR

Digitally signed by RAJ KUMAR
Date: 2016.08.26 23:23:50 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डीएल-(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2016 (ज्येष्ठ 7, 1938)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2016 (JYAISTHA 7, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद–14, दिनांक 4 अप्रैल 2016

संख्या.यू/16/53/2003/मेड–II/गुज.,37/जी/पी.टी.एम.आर./एस.एम.सी./डॉ. पी.बी.परमार पी.टी.एम.आर./07 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी.फाइल यू./13/12/13/2005–पीटीएमआर (मैडी–1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. पी.बी. परमार पी.टी.एम.आर	20.04.2016 से 19.04.2017	अहमदाबाद/गुजरात

सन्त राम
रा. चि. आयुक्त
गुजरात

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 10 मार्च 2016

सभी संबंधितों को सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 11 एवं 13 जो कि क्रमशः कार्यकारिणी परिषद् तथा शैक्षणिक परिषद् से संबंधित हैं, में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या 44–11/2012–डेस्क (यू) दिनांक 30 अक्तूबर, 2012 द्वारा सूचित किया है।

परिनियम 11 में संशोधन

वर्तमान	यथा प्रस्तावित	संशोधन के उपरांत इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 44 के तहत) कुलपति अध्यक्ष एवं 10 नामित सदस्यगण हैं	11(1) (i) कुलपति (ii) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उनके/उनकी नामिती (iii) यूजीसी द्वारा नामित एक सदस्य (iv) मुख्य सचिव, बिहार सरकार या उनके/उनकी नामिती जो मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के सचिव स्तर से कम के न हों (v) प्रतिकुलपति (vi) से (ix) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित ऐसे चार व्यक्ति जो अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त हों (x) एवं (xi) स्कूल ऑफ स्टडीज के अधिष्ठाताओं (डीन) में से उनकी वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित 2 सदस्य (xii) एक प्रोफेसर जो डीन न हों तथा वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों (xiii) एक सह–प्राध्यापक जो वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों (xiv) एक सहायक प्राध्यापक जो वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों (xv) कोर्ट के एक सदस्य (जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी/विद्यार्थी न हों) को निर्वाचित किया जाएगा। (2) कुलपति को छोड़कर कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्यगण तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु कार्यालय संभालेंगे। (3) कार्यकारी परिषद् के कुल सात सदस्यगण जिसमें से कम–से–कम दो सदस्यगण विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्यकारी परिषद् की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) पूरा करेंगे।	पूर्व स्तम्भ में यथा प्रस्तावित

परिनियम 13 में संशोधन

वर्तमान	यथा प्रस्तावित	संशोधन के उपरांत इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 44 के तहत), कुलपति एवं 20 नामित सदस्यगण जो देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद हों	(1) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्यगण शामिल होंगे, नामतः (i) कुलपति (ii) प्रतिकुलपति (iii) स्कूलों के डीन (अधिष्ठाता) (iv) शिक्षण एवं शोध विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष (v) से (viii) विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधित्व करने वाले चार प्राध्यापकगण (जो स्कूलों के डीन एवं विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष न हो) तथा वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों (ix) से (xii) विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधित्व करने वाले चार सह–प्राध्यापकगण (जो विभागों के अध्यक्ष न हों) तथा वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों। (xiii) से (xvi) विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधित्व करने वाले चार सहायक प्राध्यापकगण जो वरिष्ठता के आधार पर अनुक्रमशः कुलपति द्वारा नामित हों (xvii) पुस्तकालयाध्यक्ष (xviii) से (xxiii) शैक्षणिक परिषद् द्वारा नामित छह ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों तथा उत्कृष्टता प्राप्त हों (विश्वविद्यालय की सेवा में न हों)	पूर्व स्तम्भ में यथा प्रस्तावित
	(2) एवं (3) [illegible] प्रॉक्टर (कुलानुशासक) पदेन सदस्य होंगे। (4) पदेन सदस्यों को छोड़कर शैक्षणिक परिषद् के सभी सदस्यगण तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु कार्यालय संभालेंगे। (5) शैक्षणिक परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यगण की संख्या जिनमें कम–से–कम दो सदस्य जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों तथा कुलपति को छोड़कर शैक्षणिक परिषद् की बैठक हेतु गणपूर्ति पूरा करेंगे।	

गायत्री विश्वनाथ पाटिल
कुलसचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-380014, the 4th April 2016

File No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj) 37/G/PTMR/Dr.P.B.Parmar/B.O.BPNSMC.2015— In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt.file-U/13/12/13/2005-PTMR-(Med.I.) dated 04-08-2008, I hereby authorised the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. The date given below for one year or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre/Place/Dist/State
Dr. Prakash.B.Parmar	20.04.2016 to 19.4.2017	Br. Office Bapunaagar ESIC, Ahmedabad, Gujarat

SANT RAM
State Medical Commissioner
Gujarat

CENTRAL UNIVERSITY OF SOUTH BIHAR

Patna, the 3rd March 2016

This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Central University of South Bihar, in exercise of powers conferred upon him by the provision given in Section 27(3) of the Central Universities Act, 2009 has been pleased to approve the proposed amendments in Statute 11 and 13 relating to Executive Council and Academic Council respectively, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education vide letter No. 44-11/2012-Dest (U) dated 30th October, 2012.

Amendments of Statute 11

Existing	As proposed	How it would read after amendment
(As per Section 44 of the CUs Act 2009) Vice-[illegible] and 10 nominated members.	11.(1) (i) Vice-Chancellor (ii) Secretary, DHE, MHRD, GOI or his/her nominee (iii) One member nominated by UGC (iv) Chief Secretary, Govt. of Bihar or his/her nominee not below the rank of Secretary, HRD, Govt. of Bihar (v) Pro-Vice-Chancellor (vi) to (ix) Four persons of academic distinction to be nominated by the Visitor (x) and (xi) Two members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to Seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor (xii) One Professor, who is not a Dean, by rotation according to Seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor (xiii) One Associate Professor, by rotation according to Seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor (xiv) One Assistant Professor, by rotation according to Seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor (xv) One member of the Court, (not an employee/a student of the University or of an institution recognized by or associated with the University) to be elected (2) All the member of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years. (3) Seven of the total members of the Executive Council including at least two members not in the service of the University shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.	As proposed in the previous Column

Amendments of Statue 13

Existing	As proposed	How it would read after amendment
(As per Section 44 of the CUs Act 2009) Vice-Chancellor, and 20 nominated members eminent academics of the country	(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely: (i) The Vice-Chancellor (ii) The Pro-Vice-Chancellor (iii) Deans of Schools (iv) Heads of teaching and or research Departments/Centres (v) to (viii) Four Professors representing different schools (not Deans of Schools & Heads of the Departments/Centres) on the basis of seniority and rotation to be nominated by Vice-Chancellor (ix) to (xii) four Associate Professors (not Heads of the Department) representing different schools according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor (xiii) to (xvi) Four Assistant Professors representing different schools by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor (xvii) Librarian (xviii) to (xxiii) Six Persons (not in the service of the University) of academic eminence representing various knowledge domains nominated by the Academic Council (2) & (3) Dean, Students Welfare and Proctor shall be ex-officio members. (4) All members of the Academic Council, other than the ex-officio members shall hold office for a term of three years. (5) Half of the total members of the Academic Council, including at least two members not in the service of the University and excluding the Vice-Chancellor shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.	As proposed in the previous Column

GAYATHRI VISWANATH PATIL
Registrar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in